

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन अजमेर/एफ.03586/2024/185

दिनांक : 22-02-24

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-I दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री आशाराम चौधरी, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाई टोंक, जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 09.01.2013 है, को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 09.01.2022 से एल-08 में एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन अजमेर/एफ.03586/2024/185

दिनांक : 22-02-24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाई टोंक।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. श्री आशाराम चौधरी, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5662076

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>

Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal
Designation : Director
Date : 20-02-2024 09:33:34